रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112020-222965
CG-DL-E-05112020-222965

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 467] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2020/ कार्तिक 14, 1942
No. 467] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2020/KARTIKA 14, 1942

WWW.TAXSCAN.IN

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2020

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 29-सीए/लॉ/डी-219/2020.—माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 की सिविल याचिका सं. 146/2018 में, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(6) (ग) के अनुसरण में तारीख 29 नवंबर, 2019 को यह आदेश दिया है कि श्री जी. गोपाला, चार्टर्ड अकाउंटेंट, संख्या 29, साई कृष्णा, 4था क्रास, वार्ड सं. 185, ओमशक्ति टैम्पल रोड, येल्लेचन्नाहल्ली, बंगलूरु – 560078 (सदस्यता सं. 029672) के नाम को, उसे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (6), (7), (8) और (9) के अर्थांतर्गत वृत्तिक कदाचार तथा धारा 21 के साथ पठित धारा 22 के अधीन 'अन्य कदाचार' का दोषी पाए जाने के पश्चात् सदस्यों से रजिस्टर से छह मास की अवधि के लिए हटाए जाने का आदेश दिया था। अत:, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री जी. गोपाला का नाम इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के निबंधनानुसार वह उपरोक्त अवधि के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में व्यवसाय नहीं करेंगे।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./331/2020-21]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up under an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2020

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No.29-CA/Law/D-219/2020.—The Hon'ble High Court of Karnataka has, in pursuance of Section 21(6)(c) of the Chartered Accountants Act, 1949 in Civil Petition No. 146 of 2008, ordered on 29th November, 2019 that the name of Shri G. Gopala, Chartered Accountant, No. 29 Sai Krishna, 4th Cross Ward No.185, Omshakthi Temple Road, Yelechanahalli, Bengaluru - 560078 (M.No. 029672) be removed from the Register of Members for a period of six months after finding him guilty of professional misconduct falling within the meaning of Clauses (6), (7), (8) and (9) of Part I of Second Schedule and 'Other Misconduct' under Section 22 read with Section 21 of the Chartered Accountants Act, 1949. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the said Act read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of Shri G. Gopala stands removed from the Register of Members for a period of six months from the date of publication of this Notification in the Gazette of India. During the aforesaid period he shall not practise as a Chartered Accountant in terms of the said order of the Hon'ble High Court of Karnataka**.**

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./331/2020-21]

WWW.TAXSCAN.IN

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.11.05 19:39:00 +05'30'